

फर्द अहदीम

होतर

बनाम

रामू गो.

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26.3.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अनुसार परिचय उपस्थित। प्रकारों से संबंधित मूल वाक संक्षिप्त डिक्री निम्न जा-धुका है। अतः प्रथमा पत्र 212 R.A. डॉ. निम्न द्वेष से खारिज किया जाता है। पत्रावली फल शुमार होकर जबर से कम होकर शक्ति प्राप्त है।</p>	<p>(5) उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>